अध्याय - II

परमाणु ऊर्जा विभाग

2.1 समझौता भंग के कारण प्रतिपूर्ति पर अग्राहय व्यय

नाभिकीय ईंधन परिसर (एन एफ सी) ने सात साल की अवधि के लिए एक निजी फर्म से मैग्नेशियम ग्रेन्यूल्स की एक न्यूनतम मात्रा की खरीद के लिए एक समझौता किया। समझौते में प्राप्ति मात्रा के विचलन को पूरा करने की कोई धारा समाहित नहीं की गई। इसी दौरान अपेक्षाएं मैग्नेशियम ग्रेन्यूल्स से मैग्नेशियम चिप्स में परिवर्तित हो गई। एन एफ सी समझौते को संशोधित नहीं कर सका तथा इस मुददे पर फर्म के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की कार्यवाही को दस्तावेजी रूप देने में भी असफल रहा, जिसका परिणाम स्वरूप समझौता भंग के कारण प्रतिपूर्ति पर ₹ 1.43 करोड़ के परिहार्य व्यय हुआ।

1971 में स्थापित, नाभिकीय ईंधन परिसर (एन एफ सी), हैदराबाद परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की एक प्रमुख औद्योगिक इकाई है। भारत में संचालित सभी नाभिकीय शक्ति रिएक्टरों के लिए नाभिकीय ईंधन बंडलों तथा रिएक्टरों के मूल घटकों की आपूर्ति हेतु उत्तरदायी है।

एन एफ सी ने 1977 से 1982 के बीच अपनी अनुसंधान गतिविधियों के क्रम के दौरान मैगनेशियम ग्रेन्यूल्स के उत्पादन के लिए प्रोटोटाईप/प्रक्रिया का रूपाकार, विकास तथा अर्हता किया। मैग्नेशियम ग्रेन्यूल्स की आपूर्ति भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी)[15] के यूरेनियम धातू संयंत्र (यू एम पी) के कैप्टिव आवश्यकताओं[16] की पूर्ति करने के लिए की जाती थी। यू एम पी द्वारा प्रक्षेपित मैग्नेशियम ग्रेन्यूलस की अपेक्षाओं में वृद्धि[17] को दृष्टि में रखते हुए, एन एफ सी ने (जुलाई 1991) सात साल की अवधि के लिए नॉन एक्सक्लॅसिम आधार पर मैग्नेशियम ग्रेन्यूल्स के व्यावसायिक उत्पादन के लिए निजी पार्टियों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का निर्णय लिया। आगे एन एफ सी ने समझौते की सात साल की अवधि के दौरान, प्रतिवर्ष दस एमटी की न्यूनतम खरीद का कंपनियों को वचन देने का निर्णय लिया।

तदानुसार, एनएफसी ने (मार्च 1992) अप्रतिदेय प्रौद्योगिक हस्तांतरण शुल्क के रूप में एकमुश्त राशि ₹ 3.5 लाख की के भुगतान के विरूद्ध मैग्नेशियम ग्रेन्यूलस के उत्पादन के लिए सात साल के लिए लाइसेंस के अनुदान और तकनीक के हस्तांतरण के लिए

[15] डी ए ई की एक संगघक इकाई
[16] 12 से 15 एम टी प्रति वर्ष
[17] 20 से 25 एम टी प्रति वर्ष

यशोदा मेटल्स, हैदराबाद के साथ एक समझौते किया। समझौते में एनएफसी/डी ए ई को मार्च 1992 से मार्च 1999 तक सात साल के लिए प्रत्येक वर्ष मैग्नेशियम ग्रेन्यूल्स की न्यूनतम 10 एम टी की आपूर्ति को अनुबंद्ध किया गया, जिसके लिए एन एफ सी को तदानुसार क्रय आदेशों को जारी करना होगा। समझौते के अनुसार एन एफ सी को फर्म द्वारा निर्मित उत्पादों के निरीक्षण तथा जाँच की अनुमति दी गई तथा समझौते के अनुसार विनिर्देशों को प्राप्त करने में असफल होने की स्थिति में,इसे लाइसेंस रद्द करने का अधिकार होगा। लेखापरीक्षा ने पाया किया कि एन एफ सी ने फर्म से मैग्नेशियम ग्रेन्यूल्स की खरीद में संभव विचलन से स्वयं की सुरक्षा के लिए समझौते में सुरक्षा धारा को समाहित नहीं किया। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि यद्यपि फर्म द्वारा समझौते की शर्तों के अनुसार निर्माण सुविधाओं को स्थापित नहीं किया गया तथापि एन एफ सी द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

1993 के दौरान, बी ए आर सी ने अपनी प्राथमिकता मैग्नेशियम ग्रेन्यूल्स से मैग्नेशियम चिप्स में बदल लिया और मैग्नेशियम चिप्स की खरीद के लिए अपने क्रम एवं भंडारण निदेशालय[18] (डी.पी.एस) के माध्यम से एक ओपन संविदा (अक्टूबर 1993) में जारी की इसके उपरांत,फर्म ने आंध्रप्रदेश के उच्च न्यायालय में इसके विरूद्ध याचिका दाखिल की जिसके परिणामस्वरूप संविदा अधिसूचना वापिस लिया गया तथा याचिका खारिज की गयी।

मार्च 1994 में फर्म ने एन एफ सी से मैग्नेशियम ग्रैन्यूल्स को मैग्नेशियम चिप्स में आपूर्ति के लिए समझौते को संशोधित करने का निवेदन किया तथा अप्रैल 1993 में पहले की एक बैठक का हवाला जिसमें परियोजना के कार्यान्वयन को रोकने का निवेदन किया गया। फर्म ने यह भी दावा किया कि बैठक के दौरान यह कहा गया था कि चूँकि मैग्नेशियम ग्रैन्यूल्स के लिए कोई मांग नहीं थी, मैग्नेशियम चिप्स की आपूर्ति की जा सके। एन एफ सी ने न तो उक्त बैठक का कार्यवृत का दस्तावेजी किया गया और न ही समझौते को संशोधित किया । लेखापरीक्षा में पाया कि यद्यपि एन एफ सी, यू एम पी, बी ए आर सी के मैग्नेशियम चिप्स में वरीयता के बदलाव से भली भांति अवगत थी, इसने अपने फायदे की सुरक्षा के लिए समझौते को पुनः तय करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये।

समझौते में अनुबंद्ध मैग्नेशियम ग्रैन्यूल्स के 70 एम टी के स्थान पर, एन एफ सी ने फर्म से केवल 15 एम टी प्राप्त किया। प्रतिक्रिया के अभाव में फर्म ने एन एफ सी को एक कानूनी नोटिस (जुलाई 2000), एन एफ सी द्वारा संविदा के उल्लंघन के आधार पर हानि के लिए जारी किया। मामला अंततः एकल विवाचक (जुलाई 2002) को भेजा गया, जिन्होनें फर्म के पक्ष में निर्णय लिया (दिसम्बर 2003)। एन एफ सी ने निर्णय/को नगर दीवानी न्यायालय हैदराबाद के समक्ष चुनौती दी, परंतु मुकदमा हार गये तथा अंत में उपरोक्त मुकदमें के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के लिए (अक्तूबर 2010) ₹ 1.43 फर्म को चुकाये। फर्म के साथ मामले को संतोषजनक ढ़ंग से न संभलने और न ही महत्वपूर्ण

[18] क्रम एवं भण्डारण निदेशालय, डी.ए.ई. की एक केन्द्रीय ऐजेंसी है जो डी.ए.ई. के तहत काम कर रहे विभिन्न केन्द्र तथा औद्योगिक इकाईयों के सामग्री प्रबंधन कार्य के लिए उत्तरदायी है।

बैठकों की चर्चाओ के दस्तावेज रखने से अपने हितों की रक्षा में असफलता के कारण समझौते के भंग होने पर ₹ 1.43 करोड़ की क्षतिपूर्ति का परिहार्य व्यय हुआ।

एन एफ सी ने जवाब में (मार्च 2012) अस्वीकार किया कि विभाग ने फर्म को मैग्नेशियम चिप्स के निर्माण तथा मैग्नेशियम गैन्यूल्स के उत्पादन को एकतरफा स्थगित करने का सुझाव दिया था। एन एफ सी ने आगे कहा कि मैग्नेशियम ग्रेन्यूलस की आवश्यकता अभी भी अस्तित्व में थी। उसी उत्तर में उन्होने कहा कि फर्म ने उत्पादन पर कोई भी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी, क्योंकि अपेक्षित इकाई उनके द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। एनएफसी का उत्तर समझौते के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कार्यवाही के दस्तावेज न रखने में अपनी विफलता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वे इकाई का कोई भी निरीक्षण करने में असफल रहे हालांकि समझौते के अनुसार उन्हें ऐसा करने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त, एनएफसी ने खरीद में संभव विचलन के लिए सुरक्षा प्रावधान शामिल किए बिना ही सात वर्ष की अवधि के लिए फर्म से मैग्नेशियम गैन्यूलस के प्रति वर्ष दस एमटी खरीदने के बावजूद कि यू एम पी, बी ए आर सी ने मैग्नेशियम ग्रेन्यूलस के बजाय चिप्स में प्राथमिकता बदल दी थी, एन एफ सी ने समझौते को संशोधित करने के लिए या इस मामले पर फर्म के साथ हुई बैठकों के दस्तावेज रखने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा यह देखा गया कि 1992 से नवम्बर 2012 तक यूएमपी, बीएआरसी की मैग्नेशियम ग्रेन्यूलस की औसत आवश्यकता केवल 7.5 एमटी वार्षिक थी।

इस प्रकार, इकाई का निरीक्षण करने तथा समझौते के क्रियान्व्यन में एनएफसी द्वारा पर्याप्त एतिहात रिकार्ड करने की असफलता के फलस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ की क्षतिपूर्ति के भुगतान पर परिहार्य व्यय हुआ।

मामला विभाग को मार्च 2013 में भेजा गया, उसका उत्तर जुलाई 2013 तक अपेक्षित था।

2.2 स्थापना की अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के बिना यंत्र की खरीद में जल्दबाजी

साहा नाभिकीय भौतिकी सस्थान, कोलकाता (एस आइ एन पी) अधिसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी के कारण ₹ 38.90 करोड़ के यंत्र को स्थापित नहीं कर सका।

साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान (एस आइ एन पी), कोलकाता, परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) के अन्तर्गत कार्यरत, आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान का एक संस्थान है। एस आइ एन पी ने फरवरी 2007 में प्रयोगात्मक नाभिकीय खगोल भौतिकी में अनुसंधान (एफ आर इ एन ए) के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा गठित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। योजना में अनुमानित ₹ 35 करोड़ की लागत पर अन्य सहायक उपकरणों के साथ 500 के वी एक्सीलरेटर प्रणाली तथा तीन एम वी उच्च करंट टैनडेम की प्राप्ति को

समाविष्ट किया गया। यंत्रों के इन हिस्सों को स्थापित करने के लिए, राजरहाट, कोलकाता में संस्थान के नये परिसर में अनुमानित ₹ 24.46 करोड़ की लागत पर एक्सीलरेटर हॉल तथा प्रयोगशाला इमारतों का निर्माण, बिजली तथा वातानुकूलित मशीनें, द्रवित नाइट्रोजन संयंत्र, कम्प्यूटर तथा नेटवर्किंग आदि का निर्माण, पूर्ण किया जाना था। प्रस्तावित सुविधाओं से सर्वप्रथम भारत में निम्न ऊर्जा नाभिकीय खगोल भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के अवसरों को मुहैया करवाया जाना था।

जून 2007 में, एस आइ एन पी ने डी ए ई से एफ आर इ एन ए परियोजना के लिए यंत्रों की खरीद हेतु अनुमोदन मांगा जिनके लिए डी ए ई ने मार्च 2008 में ₹ 35 करोड़ मंजूर कर दिया। मंजूरी दर्शाने वाले ज्ञापन प्राप्त करने से पहले ही एक वैश्विक संविदा (नवम्बर 2007) को जारी कर दिया, जिसमें यंत्रों के लिए बोली लगाने वालों को डी ए ई के नियमावली क्रम में दिये 90 दिनों के विरूद्ध 35 दिन में प्रतिक्रिया की आज्ञा दी गई थी। एक विदेशी फर्म से प्राप्त एक बोली को 7 दिसम्बर 2007 को खोला गया तथा 31 दिसम्बर 2007 को इस फर्म को दो सामानों[19] के लिए पूर्ति आदेश दे दिये गये।

इसके बाद एस इ आई एन पी ने यंत्र के शेष 24 सामानों सहित, पहली बार मार्च 2008 में तथा दुबारा अगस्त 2008 में दो बार संशोधित आपूर्ति आदेश जारी किये। आदेशों का कुल मूल्य 57,81,084 यूरो था तथा सुपुर्दगी की अवधि पक्के आदेशों के भेजने से 24 से 26 महीने की थी। संस्थान ने वित्तीय शक्तियों के डेलीगेशन नियम की व्याख्या के अन्तर्गत अपेक्षित, परमाणु ऊर्जा आयोग (ए इ सी) के सदस्यों (वित्त) की सहमति तथा डी ए इ के पूर्व अनुमोदन के बिना यंत्रों की खरीद लिए आदेश दे दिया। यंत्र दिसम्बर 2010 में प्राप्त कर लिये गये तथा इन पर रू. 38.90 करोड़ का कुल व्यय किया गया।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि , एस आइ एन पी ने राजरहाट में प्रस्तावित परिसर में एक्सीलेटर हॉल तथा प्रयोगशाला इमारत की योजना बनाई थी तथा इस कार्य को सितम्बर 2009 तक सम्पन्न किया जाना था। परंतु इसने सितम्बर 2008 में राजरहाट परिसर में इस मास्टर प्लान की तैयारी के लिए एक सलाहकार फर्म को शामिल किया। इसने मौजूदा साल्ट लेक परिसर में एफ आर इ एन ए प्रयोगशाला इमारत के निर्माण का निर्णय, राजरहाट परिसर के लिए मास्टर प्लान के अनुमोदन प्राप्त होने में लगे प्रक्रियात्मक विलम्ब को बताते हुए दिसम्बर 2009 में किया। इसी दौरान दिसम्बर 2010 में यंत्र सुपुर्द हुए। यंत्रों की सुपुर्दगी की तिथि से 22 महीनों के गुजरने के बावजूद प्रयोगशाला इमारत के निर्माण हेतु संविदाएं अक्तूबर 2010 तक अंतिम रूप नहीं ले पाई। क्योंकि 22 महीनों की अवधि पूर्व योग्यता संविदा दस्तावेजों में इमारत कार्य के लिए तय की गई थी इसलिए इमारत की अधिसंरचना अगस्त 2014 से पूर्व पूर्ण होना अपेक्षित था। यह मंहगे यंत्रों के लिए अधिसंरचना के निर्माण के लिए विलम्बित कार्यवाही के साथ

[19] स्विचिंग चुम्बक 'ए' प्रकार, सहायक उपकरणों सहित एवं 90 डिपलेक्शन चुम्बक सहायक उपकरणों सहित।

योजना निर्माण में कमी की ओर संकेत करता था। इस प्रकार यंत्र के लिए आदेश दिये जाने में अनुचित जल्दबाजी से निम्नलिखित परिणाम निकले :–

(क) ₹ 38.90 करोड़ की कीमत के यंत्र अस्थापित रहे तथा दिसम्बर 2010 से रू. 15.03 लाख का अतिरिक्त व्यय उठाया गया। पिछले 18 महीनों से किये जा रहे अस्थायी इंतजाम अगले कम से कम 18 महीनों तक जारी रखे जाने की संभावना है, क्योंकि प्रयोगशाला इमारत का कार्य अभी प्रारंभ होने को था (जून 2012)।

(ख) परियोजना की लागत को संशोधित करके ₹. 45.24 करोड़ किया गया ताकि यंत्र की लागत में बढ़ोतरी, एक्सचेंज दर में परिवर्तन व आयात शुल्क आदि को पूरा किया जा सके। संशोधित परियोजना लागत के लिए डी ए ई का अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित था। (जून 2012)

(ग) यंत्र की जांच नहीं की गई तथा योजना के लिए वारंटी अवधि मार्च 2012 में समाप्त हो गई थी। भविष्य में स्थापना के दौरान यदि कोई बडा दोष मिलेगा तब इसके सुधार करने में अतिरिक्त लागत विविक्षा होगी।

एस आइ एन पी ने (जून 2012) कहा कि डी ए ई के निर्माण, सेवा व एस्टेट प्रबंधन निदेशालय (डी सी एस इ एम) द्वारा प्रयोगशाला ईमारत तथा एक्सीलरेटर हॉल के निर्माण के लिए इच्छुक एजेंसियों को अल्प सूचित किया गया था। उक्त के लिए संविदा दस्तावेज तैयार किये जा रहे थे तथा ईमारत का निर्माण इस साल के अंत तक किये जाने की अपेक्षा की जा रही थी। एस आइ एन पी ने बाद में कहा (अक्तूबर 2012) कि ए इ आर बी ने सितम्बर 2012 में अनुमोदन दिया तथा वे ईमारत के निर्माण के लिए कार्य आदेश को जारी करने की प्रक्रिया में थे। तथ्य अभी भी यही है कि एस आइ एन पी ने यंत्र की खरीद में अनुचित जल्दबाजी दिखाई तथा सहायक अधिसंरचना के सृजन में समान रूप से परिश्रम नहीं दिखाया जो कि मंहगे यंत्र की व्यर्थता/ की और ले गया।

ममला जून 2013 में डी ए ई को भेजा गया था लेकिन उनका जवाब जुलाई 2013 तक प्राप्त नहीं हुआ था।